<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>11.09.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवास मूर्ति, नियमिथा और एन श्रीनिवास मूर्ति की करीबी रिश्तेदार श्रीमती रत्नम्मा की 3.62 करोड़ रुपये (लगभग) (बाजार मूल्य) मूल्य की दो अचल संपत्तियों को बैंक के खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने अपने ग्राहकों को उनके सावधि जमा या बचत खातों पर न तो ब्याज दिया और न ही मूलधन वापस किया। यह भी आरोप लगाया गया था कि सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक के अध्यक्ष और निदेशकों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके बैंक के ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशि का गबन किया और इस तरह बैंक के प्रबंधन और कर्मचारियों के माध्यम से बैंक के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की गई।

पीएमएलए, 2002 के तहत जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एन श्रीनिवास मूर्ति, उनकी पत्नी श्रीमती धारिणी देवी और उनकी बेटी सुश्री मोक्षतारा, जो क्रमशः शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा के अध्यक्ष, निदेशक और कार्यात्मक निदेशक थे, उक्त बैंक से धन के हेर-फेर में सहायक थे। जाँच से यह भी पता चला कि एन श्रीनिवास मूर्ति ने विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ स्थापित कीं, जैसे श्रुति सौहार्द क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, श्री लक्ष्मी महिला को-ऑप सोसाइटी (श्रीनिवास मूर्ति की निकट संबंधी सुश्री रत्नम्मा द्वारा प्रबंधित) आदि और विभिन्न जमाकर्ताओं से केवल उन्हें धोखा देने के लिए जमा राशि(डिपॉज़िट) स्वीकार की।

यह भी पता चला कि श्रीनिवास मूर्ति और अन्य लोग अपने करीबी सहयोगियों के नाम पर, बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और कभी-कभी बिना किसी संपार्श्विक(कोलैटरल) के, ऋण स्वीकृत करते थे। एन. श्रीनिवास मूर्ति और अन्य लोग उक्त ऋण राशि से अपने नाम पर संपत्तियां पंजीकृत कराते थे और बाद में ऋण खातों को एनपीए में बदल देते थे।

आगे की जाँच जारी है।

ड्राफ्ट ट्वीट:-

ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा के तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवास मूर्ति और एन श्रीनिवास मूर्ति की करीबी रिश्तेदार श्रीमती रत्नम्मा की 3.62 करोड़ रुपये (लगभग) (बाजार मूल्य) की दो अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्तियां फर्जी ऋणों के माध्यम से जमाकर्ताओं के धन के हेर-फेर(डायवर्जन) से संबंधित एक केस में जब्त की गई हैं।